UPMT010009522026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–391/2026
सीताराम प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 928/2023, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना हाईवे, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **सीताराम** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा श्रीमती प्रेमवती पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह दिनांक 07.09.2023 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त, जोकि नशे का आदी है, के द्वारा वादी मुकदमा के पिता गुलाब सिंह, जोकि आवेदक/अभियुक्त के भी पिता थे, की फावड़े से काटकर हत्या कर दिया जाना आक्षेपित है। मृतक गुलाब सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें उसकी मृत्युपूर्व चोटें इस प्रकार दर्शित की गई हैं कि 1– Incised wound of about 3cm x 1cm present on the right side of neck with rupture of underlying major blood vessels with free and clotted blood present at the site of injury and in underlying tissue/muscles of anterior aspect of neck. 2– Incised wound of about 1.5cm x .5cm present on the left side of neck with bleeding present. 3– Abrasion of about 2cm x 1cm present on the anterior aspect of neck with contusion and swelling of about 16cm x 7cm present on anterior aspect of neck with fracture of hyoid bone present with underlying clots present in subcutaneous tissues. गुलाब सिंह की मृत्यु के कारण के रूप में यह तथ्य अंकित किया गया है कि Death due to shock and haemorrage as a result of AMI. बाद विवेचना इस प्रकरण में आरोपपत्र आ चुका है और सम्बन्धित सत्र परीक्षण वाद शेष अभियोजन साक्ष्य में चल रहा है, जिसमें 06 अभियोजन साक्षीगण परीक्षित हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी–अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान किया है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन मनगढ़ंत व काल्पनिक कहानी पर आधारित हैं, जो असत्य हैं। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 06.09.2023 में शक के आधार पर संलिप्त बताया गया है तथा घटना का न तो वादी मुकदमा व अन्य कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। वादी मुकदमा ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था तथा आवेदक/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में झूठा शक के आधार पर साजिश के तहत फँसाया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मात्र शक के आधार पर साजिश के तहत गलत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त नशे का आदी नहीं है और न बीमार रहता है। वादी मुकदमा ने आवेदक/अभियुक्त का नशा मुक्ति केन्द्र चिकित्सीय प्रमाणपत्र ऐसा कोई साक्ष्य

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.02 16:56:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दाखिल नहीं किया है, इसलिए वादी मुकदमा का कथन महज बनावटी व मिथ्या है, जो वादी मुकदमा की कहानी को झुठलाता है। सत्यता यह है कि मृतक गुलाब सिंह, वादी व अभियुक्त के सगे पिता थे तथा अभियुक्त का हमेशा हर प्रकार से सहयोग करते रहते थे, यह बात वादी को अच्छी नहीं लगती थी तथा वादी, अभियुक्त व मृतक से झगड़ा करता था। वादी की बदनीयती रहती थी कि अभियुक्त का सहयोग न करके मृतक गुलाब सिंह वादी को नौकरी का सारा पैसा दे, इस बात से मृतक गुलाब सिंह ने वादी से साफ इंकार कर दिया, इसी बात से वादी, आवेदक/अभियुक्त से रंजिश मानने लगा व आवेदक/अभियुक्त को सबक सिखाने की धमकी भी दी, परन्तु आवेदक/अभियुक्त ने परिवार का मामला होने के कारण कोई शिकायत नहीं की, इसीलिए वादी ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शक के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को झूठा फँसाया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य व गवाह नहीं है और न ही आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्षी ने ठोस साक्ष्य न्यायालय में दिया है। आवेदक/अभियुक्त की इस अपराध में कोई भी भूमिका नहीं है।

6– आवेदक/अभियुक्त **सीताराम** प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है और बाद विवेचना उसके विरूद्ध आरोपपत्र भी आ चुका है।

जहाँ तक अपराध में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका का प्रश्न है, स्वीकृत रूप से प्रकरण अभी शेष अभियोजन साक्ष्य में चल रहा है और आवेदक/अभियुक्त की भूमिका का तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का भी कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई यथोचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–02.04.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी